उपायुक्त का न्यायालय, रामगढ़।

(10)

आदेश पत्रक

नीलाम पत्र अपील वाद संख्या – 50/2010

परियोजना पदाधिकारी, सिरका सी0सी0एल0 बनाम् राज्य (सहायक खनन पदाधिकारी,रामगढ़)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

आदेश :–

23/06/2014

नीलाम पत्र पदाधिकारी(खनन), हजारीबाग में नीलाम पत्र वाद संख्या– 07/08–09 सहायक खनन पदाधिकारी, रामगढ़ बनाम् परियोजना पदाधिकारी, सिरका कोलियरी, अरगड्डा क्षेत्र में दिनांक 05.06.2010 में पारित आदेश के विरूद्ध अपील आवेदन दायर किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् दिनांक 27.07.2010 को वाद अंगीकृत करते हुए उभय पक्ष को विधिवत् सूचना निर्गत कर वाद की सुनवाई प्रारम्भ की गई है।

अपीलार्थी का कहना है कि कम्पनी के द्वारा "सी0" ग्रेड कोयले का ही सम्प्रेषण मार्च, 2006 से जुलाई, 2006 तक हुआ है तथा कम्पनी से स्वामिस्व का कोई बकाया नहीं निकलता है। इन्होनें नीलाम पत्र वाद संख्या 07/08–09 में दिनांक 05.06.2010 में पारित आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है।

विपक्षी की ओर से सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि अंकेक्षण आपत्ति आई0आर0नं0–12/07–08 के कंडिका 4 के अनुसार रामगढ़ जिला अर्न्तगत सिरका कोलियरी द्वारा मार्च,2006 से जुलाई,2006 तक की अवधि में ग्रेड "ए0" का प्रेषण 87803 मे0टन कोयले का स्वामिस्व 165/– रूपये के बदले 115/– रूपये का भुगतान करने के फलस्वरूप स्वामिस्व की अन्तर राशि 50/– रूपये प्रति टन की दर से वसूली हेतु दायर नीलाम पत्र वाद संख्या 07/08–09 में विधिवत् सुनवाई के उपरान्त आदेश पारित है। इन्होनें अपीलार्थी का आवेदन अस्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना, निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख नीलाम पत्र वाद संख्या– 07/08–09 का अनुशीलन किया तथा अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सिरका कोलियरी अरगड्डा क्षेत्र, सी0सी0एल0 द्वारा मार्च,2006 से जुलाई,2006 तक की अवधि में ग्रेड "ए0" का प्रेषण 87803 मे0टन कोयले का स्वामिस्व 165/– रूपये के बदले 115/– रूपये का भुगतान परियोजना पदाधिकारी, सिरका कोलियरी, अरगड्डा क्षेत्र, सी0सी0एल0 के द्वारा किया गया है, जो अंकेक्षण आपत्ति आई0 आर0 नं0– 12/07–08 के कंडिका 4 से भी इसकी पुष्टि होती है। अतः निम्न न्यायालय के नीलाम पत्र वाद संख्या 07/08–09 में पारित आदेश से सहमत होते हुए अपीलार्थी का आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। आदेश की प्रति सहायक खनन पदाधिकारी, रामगढ़ एवं परियोजना पदाधिकारी, सिरका कोलियरी, अरगड्डा क्षेत्र को भेजें। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
रामगढ़।

उपायुक्त,
रामगढ़।